रातापानी टाइगर रिज़र्व

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में, **रातापानी वन्यजीव अभयारण्य** को आधिकारिक तौर पर बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, **जो मध्य प्रदेश का 8वाँ** और **भारत का 57वाँ बाघ अभयारण्य** होगा।

- इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

//

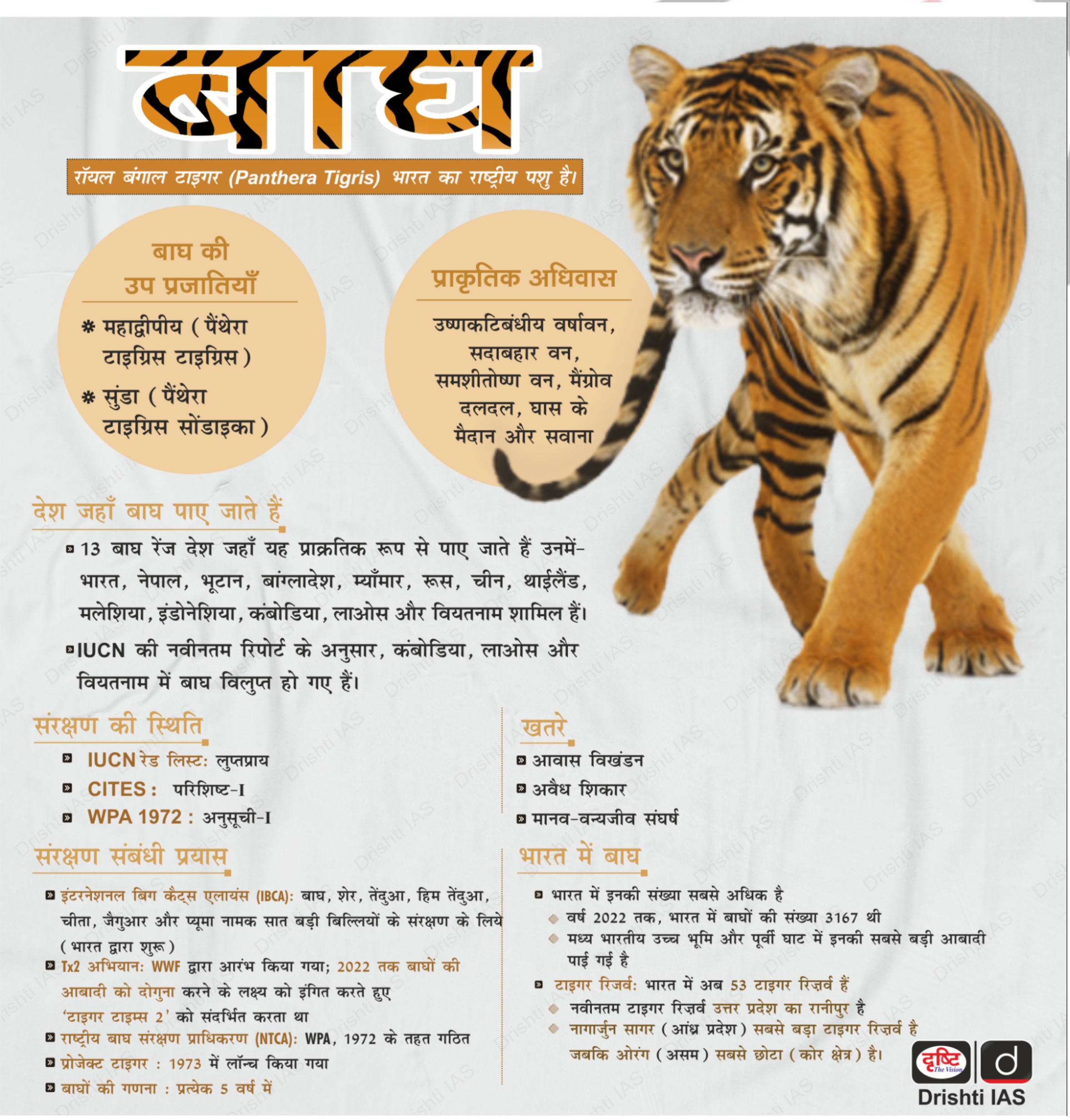

बाघ

रॉयल बंगाल टाइगर (Panthera Tigris) भारत का राष्ट्रीय पशु है।

बाघ की उप प्रजातियाँ

- महाद्वीपीय (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस)
- सुंडा (पैंथेरा टाइग्रिस सोंडाइका)

प्राकृतिक अधिवास

उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन, समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव दलदल, घास के मैदान और सवाना

देश जहाँ बाघ पाए जाते हैं

- 13 बाघ रेंज देश जहाँ यह प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं उनमें- भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्याँमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल हैं।
- IUCN की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में बाघ विलुप्त हो गए हैं।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय
- CITES : परिशिष्ट-I
- WPA 1972 : अनुसूची-I

खतरे

- आवास विखंडन
- अवैध शिकार
- मानव-वन्यजीव संघर्ष

संरक्षण संबंधी प्रयास

- इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA): बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा नामक सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिये (भारत द्वारा शुरू)
- Tx2 अभियान: WWF द्वारा आरंभ किया गया; 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने के लक्ष्य को इंगित करते हुए 'टाइगर टाइम्स 2' को संदर्भित करता था
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA): WPA, 1972 के तहत गठित
- प्रोजेक्ट टाइगर : 1973 में लॉन्च किया गया
- बाघों की गणना : प्रत्येक 5 वर्ष में

भारत में बाघ

- भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है
  - वर्ष 2022 तक, भारत में बाघों की संख्या 3167 थी
  - मध्य भारतीय उच्च भूमि और पूर्वी घाट में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई गई है
- टाइगर रिजर्व: भारत में अब 53 टाइगर रिज़र्व हैं
  - नवीनतम टाइगर रिज़र्व उत्तर प्रदेश का रानीपुर है
  - नागार्जुन सागर (आंध्र प्रदेश) सबसे बड़ा टाइगर रिज़र्व है जबकि ओरंग (असम) सबसे छोटा (कोर क्षेत्र) है।

Drishti IAS

रातापानी टाइगर रिज़र्व से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?

- **विंध्यांचल पर्वत** के निकट स्थित इस अभयारण्य में भीमबेटका के शैलाश्रय भी शामिल हैं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- **रातापानी टाइगर रिज़र्व** का कुल क्षेत्रफल 1,271.4 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 763.8 वर्ग किलोमीटर का क्रोड क्षेत्र और 507.6 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है।

वनस्पतिजात और प्राणिजात:

- यह शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसके **55%** क्षेत्र में **सागौन (टेक्टोना ग्रैंडिस)** पाया जाता है।
- यहाँ पाए जाने वाले बाँस और **सदापर्णी साजा वन**, पर्यटकों के लिये आकर्षण केंद्र हैं।
- **अभयारण्य में 35** से अधिक **स्तनधारी प्रजातियाँ, 33 सरीसृप प्रजातियाँ, 14 मत्स्य प्रजातियाँ, 10 उभयचर प्रजातियाँ** और **40 से अधिक बाघ** हैं।

भारत में टाइगर रिज़र्व के रूप में नामित किये जाने की प्रक्रिया क्या है?

- **प्रारंभिक प्रस्ताव: राज्य सरकार** पारिस्थितिकी महत्त्व और बाघों की उपस्थिति का आकलन करते हुए किसी **वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान को बाघ रिज़र्व के रूप में नामित करने का प्रस्ताव करती है।**
    - तत्पश्चात् एक **व्यापक योजना** तैयार की जाती है, जिसमें बाघों की व्यवहार्य संख्या सुनिश्चित करने हेतु प्रबंधन रणनीतियों और आवास आवश्यकताओं की रूपरेखा तैयार की जाती है।
- **NTCA का अनुमोदन:** प्रस्ताव और संरक्षण योजना को समीक्षा और मूल्यांकन हेतु **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** को प्रस्तुत किया जाता है।
- **सिद्धान्तः अनुमोदन:** NTCA संबद्ध क्षेत्र को बाघ संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण तथा वित्तपोषण के लिये पात्र होने की मान्यता देते हुए **सिद्धान्तः अनुमोदन** प्रदान करता है।
- **आधिकारिक अधिसूचना:** राज्य सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत संबद्ध क्षेत्र को बाघ रिज़र्व घोषित करने के लिये **एक आधिकारिक अधिसूचना** जारी करती है, जिसमें क्रोड और बफर ज़ोन का निर्धारण किया जाता है।
    - बाघ रिज़र्व का प्रभावी प्रबंधन करते हुए **स्थानीय समुदायों को लाभान्वित और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिये अनेक पहल की जाती हैं।**
- **अनुवीक्षण और मूल्यांकन: NTCA और राज्य प्राधिकरणों** की निरंतर अनुवीक्षण से संरक्षण प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है और आवश्यकतानुसार प्रबंधन रणनीतियों को अपनाया जाता है।

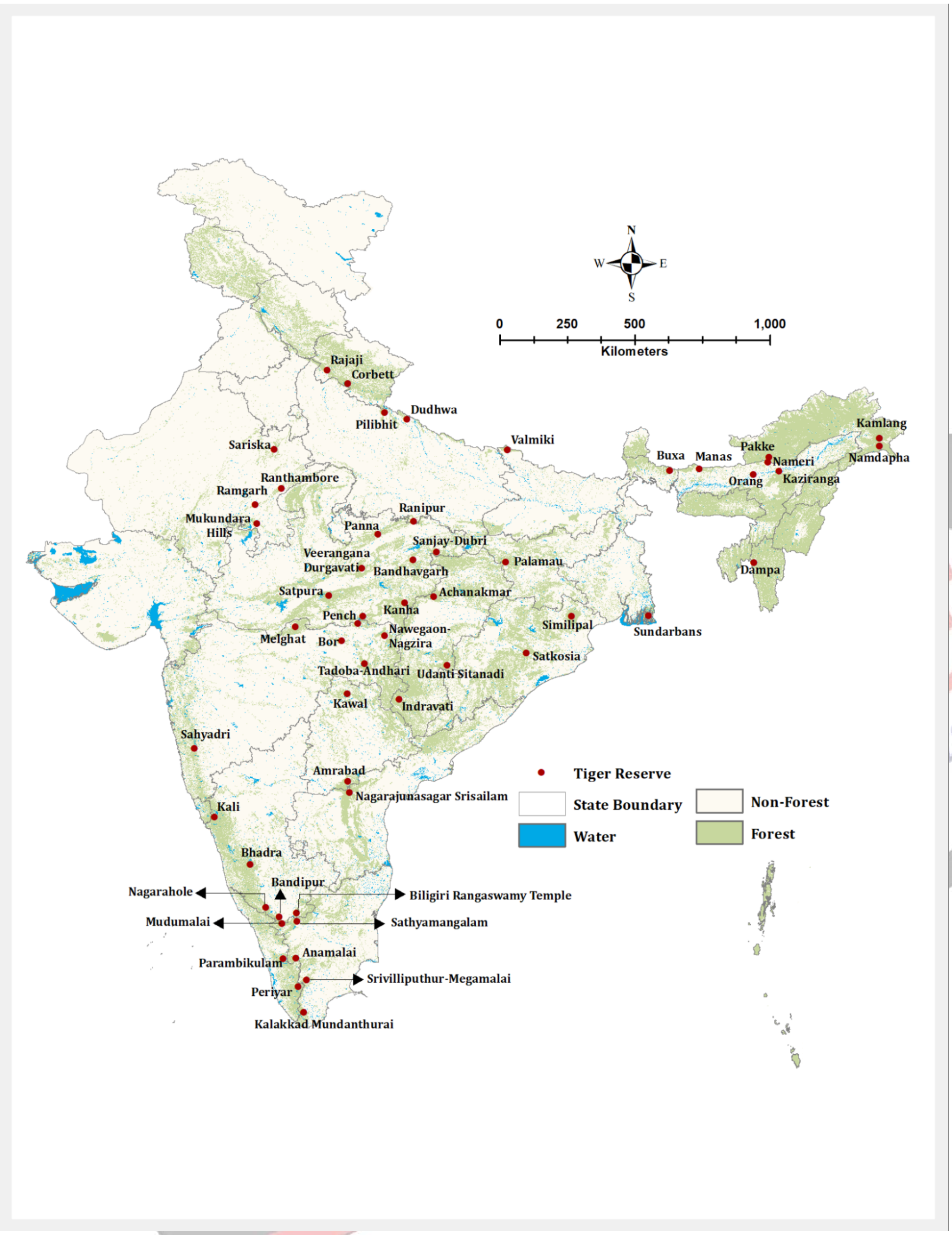
N
W
E
S
0
250
500
1,000
Kilometers
Rajaji
Corbett
Dudhwa
Pilibhit
Valmiki
Sariska
Ranthambore
Ramgarh
Mukundara Hills
Ranipur
Panna
Sanjay-Dubri
Veerangana Durgavati
Bandhavgarh
Palamau
Satpura
Achanakmar
Pench
Kanha
Melghat
Bor
Nawegaon-Nagzira
Similipal
Sundarbans
Satkosia
Tadoba-Andhari
Udanti Sitanadi
Kawal
Indravati
Sahyadri
Amrabad
Nagarajunasagar Srisailam
Kali
Bhadra
Nagarahole
Bandipur
Biligiri Rangaswamy Temple
Mudumalai
Sathyamangalam
Anamalai
Parambikulam
Srivilliputhur-Megamalai
Periyar
Kalakkad Mundanthurai
Buxa
Manas
Pakke
Nameri
Orang
Kaziranga
Kamlang
Namdapha
Dampa
● Tiger Reserve
State Boundary
Water
Non-Forest
Forest

संरक्षण वधियों के प्रकार -

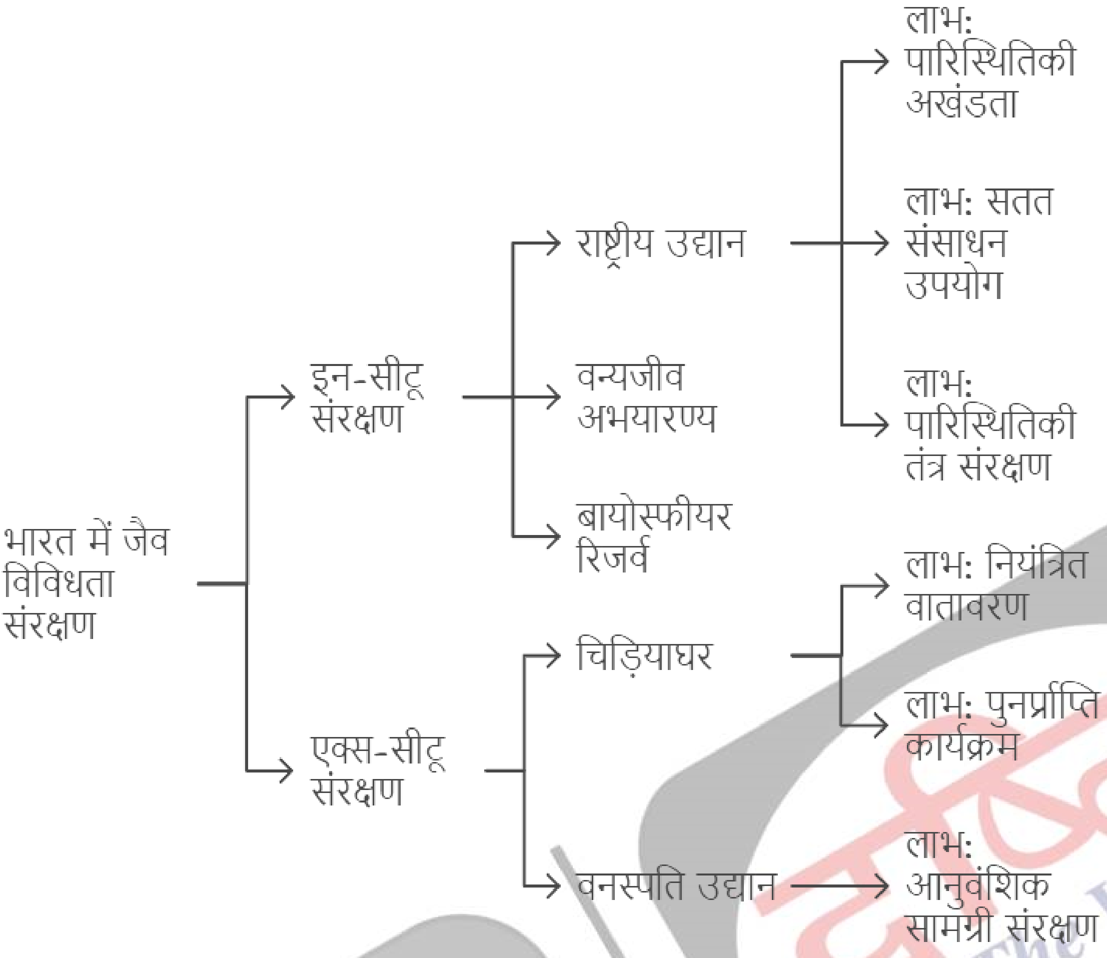
भारत में जैव विविधता संरक्षण
इन-सीटू संरक्षण
एक्स-सीटू संरक्षण
राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य
बायोस्फीयर रिजर्व
चिड़ियाघर
वनस्पति उद्यान
लाभ: पारिस्थितिकी अखंडता
लाभ: सतत संसाधन उपयोग
लाभ: पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण
लाभ: नियंत्रित वातावरण
लाभ: पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम
लाभ: आनुवंशिक सामग्री संरक्षण

दृष्टि The Vision

वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिज़र्व और बायोस्फीयर रिज़र्व के बीच अंतर

विशेषता	**वन्यजीव अभयारण्य**	**टाइगर रिज़र्व**	**बायोस्फीयर रिज़र्व**
परिभाषा	**वनस्पतियों और जीवों की विशिष्ट प्रजातियों तथा उनके आवासों के संरक्षण** हेतु समर्पित एक क्षेत्र, जिसका स्वामित्व सरकार या निजी संस्थाओं के पास होता है।	**बाघों और उनके आवासों के संरक्षण** के लिये विशेष रूप से नामित संरक्षित क्षेत्र।	वनस्पति, जीव-जंतु और सांस्कृतिक विरासत सहित **जैवविविधता के संरक्षण और सतत् विकास** के लिये निर्दिष्ट क्षेत्र।
प्रबंधन प्राधिकरण	राज्य सरकारों या निजी संगठनों द्वारा प्रबंधित।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** द्वारा प्रबंधित।	स्थानीय समुदायों के सहयोग से **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा प्रबंधित।
सार्वजनिक पहुँच	सामान्यतः यह कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंधों के साथ आगंतुकों के लिये खुला है।	मानवीय व्यवधान को न्यूनतम करने के लिये प्रवेश को विनियमित किया जाता है; पर्यटन को निर्दिष्ट क्षेत्रों में ही **अनुमति दी जाती है।**	सीमित सार्वजनिक पहुँच; मुख्यतः अनुसंधान और शिक्षा संबंधी प्रयोजनों हेतु।
विधिक ढाँचा	**वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972** द्वारा शासित।	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत बाघ संरक्षण के लिये विशिष्ट प्रावधानों के साथ स्थापित।	यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ; संरक्षण के लिये राष्ट्रीय कानूनों द्वारा शासित।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है?

(a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(b) पंचायती राज मंत्रालय
(c) ग्रामीण विकास मंत्रालय
(d) जनजातीय मामलों का मंत्रालय

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

1. "संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास" की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम, 2006 में समाविष्ट है।
2. भारत में पहली बार बैगा (जनजाति) को पर्यावास का अधिकार दिया गया है।
3. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भी भाग में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिये पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है तथा इसकी घोषणा करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ratapani-tiger-reserve-1